सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति (रिपिटेशन) की प्रघटना का अध्ययन

उमेश गुप्ता*

शैक्षिक संदर्भ में नामांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला कराने से होता है और यह शैक्षिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। वहीं ग्रेड (कक्षा) पुनरावृत्ति से तात्पर्य किसी ग्रेड में नामांकित विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों के साथ उन्हें उच्च ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के बजाय एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उसी ग्रेड में ही रखे जाने से होता है। कुछ स्कूल प्रणालियों में ग्रेड पुनरावृत्ति/दुहराव की घटना को एक वैध सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है, वहीं कुछ स्कूल प्रणालियों में ग्रेड पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। भारतीय प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फ़ेल न करने अथवा स्कूल से निकाले जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। प्रस्तुत आलेख बिहार के कैमूर ज़िले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 में विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति की प्रघटना पर आधारित है। यह लेख बयां करता है कि वे कौन-से विद्यार्थी हैं जो आठवीं कक्षा में पुनरावृत्ति कर रहे हैं? और इसके क्या कारण और संभावित प्रभाव हो सकते हैं? इस आलेख के ज़रिये यह समझ विकसित हो सकेगी कि समाज के वे कौन-से लोग हैं जिनके बच्चे इस प्रघटना में शामिल हैं तथा इस प्रघटना की कड़ी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निम्न नामांकन से कैसे जुड़ी हुई है? इस प्रकार से इस आलेख से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर ऐसे मुद्दों से संबंधित शिक्षा नीति के मसौदे, उपयुक्त अधिनियम एवं योजनाएँ बनाई जा सकती हैं ताकि इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सके तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सभी सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों की तुल्य/बराबर पहुँच हो सके।

शैक्षिक संदर्भ में नामांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला कराने से होता है और यह शैक्षिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। वहीं ग्रेड (कक्षा) पुनरावृत्ति/दुहराव से तात्पर्य किसी ग्रेड में नामांकित विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों के साथ उन्हें उच्च ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के बजाय एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उसी ग्रेड में रखे जाने से होता है। कुछ स्कूल प्रणालियों में ग्रेड पुनरावृत्ति की घटना को एक वैध सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है, वहीं कुछ स्कूल प्रणालियों में ग्रेड पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। भारतीय प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में *आर.टी.ई. अधिनियम, 2009* कक्षा

* *शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणासी (उत्तर प्रदेश) 221 005

8 तक किसी भी विद्यार्थी को फ़ेल न करने अथवा स्कूल से निकाले जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। शायद यहीं कारण है कि आधिकारिक तौर पर ग्रेड पुनरावृत्ति संबंधी आँकड़े आमतौर पर प्रकाश में नहीं आते हैं और न ही इस मुद्दे पर कोई शैक्षिक विमर्श प्रकाश में आते हैं। स्वयं शोधकर्ता द्वारा बिहार के कैमूर ज़िले में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निम्न नामांकन के कारण, जैसे एक मुद्दे पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि कक्षा 8 उत्तीर्ण 174 विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों के चलते अगली कक्षा 9 में नामांकन नहीं करा पाए हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे जो कक्षा 8 में पुनरावृत्ति करने वाले हैं। शोधकर्ता को संबंधित स्कूल के प्रधान शिक्षकों द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 8 में पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों के रूप में पहचान की गई। इस प्रकार से प्रस्तुत आलेख में कक्षा 8 में पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों से तात्पर्य आठवीं कक्षा उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थियों से है जो अगली कक्षा 9 में नामांकन नहीं करा पाए बल्कि पुनः उसी कक्षा में पढ़ने जाते हैं।

हालाँकि, ऐसे विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं बल्कि मनचाहे रूप से विद्यालय जाते हैं, लेकिन फिर भी यह वैधानिक नहीं है। क्योंकि एक बार कक्षा 8 पास हो जाने के बाद पुनः उसी कक्षा में नामांकित होने की कोई वैधानिक उपाय/प्रक्रिया नहीं है। स्कूल प्रणाली, विशेषकर सुदूर पहाड़ी एवं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, में ऐसी प्रघटना अधिक देखी जाती है।

कक्षा 8 में पुनरावृत्ति करने वाले सभी विद्यार्थी अशिक्षित पिछड़ी/अति पिछड़ी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के फेरी करने वाले, ऑटो-रिक्शा चलाने वाले, मेहनतकश मज़दूर, जैसे सामाजिक-आर्थिक वर्ग से संबंधित हैं। चूँकि भारत में जाति एवं सामाजिक-आर्थिक वर्ग अंतःसंबंधित हैं। अतः यह आश्चर्य नहीं है कि कक्षा 8 में पुनरावृत्ति करने वाले सभी विद्यार्थी वंचित समूह से हैं।

शोध के साहित्यिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया गया है परंतु कक्षा 8 में विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति की प्रघटना पर आधारित अध्ययन (विशेषकर बिहार राज्य के संदर्भ में) के संदर्भ में पर्याप्त शोध साहित्य दृष्टिगत नहीं हुए हैं। शिक्षा के संदर्भ में ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी गहराई से पड़ताल करने की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा इस मुद्दे की विस्तृत पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

कैमूर ज़िला, बिहार

कैमूर, बिहार राज्य के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में स्थित एक ज़िला है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ है। प्रमंडल स्तर पर यह दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। कैमूर ज़िला में अभी भी पुरुष (81.49 प्रतिशत) एवं महिला (59.56 प्रतिशत) साक्षरता दर के बीच 21.93 प्रतिशत का अंतर है। यहाँ औसत ग्रामीण साक्षरता दर 68.76 प्रतिशत, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.97 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर केवल 57.26 प्रतिशत ही है। जनसंख्या की दृष्टि से यह एक छोटा ज़िला है, जिसका राज्य में 32वाँ स्थान है। ज़िले का चैनपुर, रामपुर, भगवानपुर एवं अधौरा प्रखंड कैमूर की पहाड़ियों से सटे होने के कारण यह आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है। ज़िले में 71.28 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 78 प्रतिशत लोग अधौरा प्रखंड में हैं। ज़िले में कुल 9.55 प्रतिशत मुस्लिम, 10.20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 3.20 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अधौरा कैमूर ज़िले का सबसे कम साक्षरता दर (56.34 प्रतिशत) एवं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत (5.2 प्रतिशत) वाला प्रखंड है। भभुआ सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत (20.1 प्रतिशत) वाला प्रखंड एवं रामपुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत (29.9 प्रतिशत) वाला प्रखंड है (जनगणना, 2011 एवं आफ़िशियल वेबसाइट, कैमूर)। उपरोक्त विशेषताओं के साथ ही धर्म, आर्थिक वर्ग एवं जातिगत संरचना—उच्च जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आधार पर अधिकतम विचलनशीलता के कारण इस ज़िले का चयन किया गया।

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया

शोध-उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन में गुणात्मक शोध उपागम के अंतर्गत आने वाली 'प्रघटनाशास्त्रीय शोध विधि' (Phenomenology) का प्रयोग किया गया है। बिहार के कैमूर ज़िले के वर्ष 2019 में कक्षा 8 उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी जिनका अगली कक्षा 9 में नामांकन नहीं हुआ बल्कि पुनः उसी कक्षा 8 में पढ़ने जाते हैं, इस अध्ययन के समग्र हैं। ज़िला शिक्षा कार्यालय कैमूर से प्राप्त विद्यालयों की सूची के अनुसार ज़िले में कक्षा 8 संचालित करने वाले उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं मध्य विद्यालय कुल 11 प्रखंडों (ब्लॉक) में भिन्न-भिन्न संख्या में अवस्थित थे। इसलिए इस शोध कार्य के लिए कैमूर ज़िले के प्रत्येक प्रखंड से आनुपातिक रूप से विद्यालयों का चयन आनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि (Proportionate Stratified Random Sampling Method) द्वारा किया गया। इस प्रकार से चयनित विद्यालयों में 32 विद्यार्थी (12 बालक व 20 बालिका) आठवीं कक्षा में पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों के रूप में चिह्नित/पहचान किए गए। उनमें से न्यायदर्श के रूप में 11 विद्यार्थियों (6 बालक व 5 बालिका) एवं उनके अभिभावकों तथा उनसे संबंधित 4 प्रधान शिक्षकों का चयन उनकी सहमति के आधार पर अधिकतम विचरण प्रतिचयन विधि (Maximum Variation Sampling) द्वारा किया गया। इस प्रघटना के संदर्भ में उनसे अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आँकड़े संकलित किए गए।

इस शोध कार्य के संदर्भ में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से कई बार मिलने-जुलने से शोधकर्ता की उनसे एक अच्छी घनिष्ठता स्थापित हो चुकी थी। उनसे काफी मेल-जोल हो जाने के बाद बहुत ही सहज भाव से उन विद्यार्थियों की 'असर टूल' के माध्यम से शैक्षिक उपलब्धि एवं विषयगत व्यावहारिक समझ के आकलन के साथ ही साथ इस शोध के अन्य पहलुओं पर आधारित औपचारिक बातचीत (साक्षात्कार) जारी रखा गया। पुनरावृत्ति करने वाले अधिकतर विद्यार्थी अपने स्कूल में ही मिल जाते थे। वहीं कुछ विद्यार्थी अपने घरों, खेत-खलिहानों, दुकानों आदि पर मिलते थे और ऐसी परिस्थितियों में शोधकर्ता के कई बार प्रयास करने पर विद्यार्थियों की सहमति से यथासंभव शांतिप्रिय जगह तलाश कर उनका साक्षात्कार लिया जाता था। वहीं विद्यालय में मिलने वाले विद्यार्थियों से बातचीत (साक्षात्कार) विद्यालय परिसर में ही किसी शांत जगह की तलाश करके की जाती थी। इसी प्रकार की परिस्थितियाँ उनके अभिभावकों तक पहुँच बनाने एवं उनसे औपचारिक बातचीत (साक्षात्कार) करने में भी रही। वहीं इस संदर्भ

में संबंधित प्रधान शिक्षकों से बातचीत (साक्षात्कार) पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित आँकड़े संकलन के दौरान ही की जाती थी।

इस प्रकार से संकलित किए गए गुणात्मक आँकड़ों के विश्लेषण के क्रम में शोधकर्ता द्वारा सभी साक्षात्कार का (लिप्यंतरण) ट्रांसक्रिप्शन लिखित/रूप में किया गया तथा उसके बाद डेटा रिडक्शन, डेटा डिस्प्ले, ड्राइंग कनक्लूजन, आँकड़ों के स्रोतों व शोध की विधियों/उपकरणों के आधार पर ट्रेंगुलेसन जैसे व्यवस्थित चरणों का अनुसरण करते हुए थीमवार/मुद्देवार विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों द्वारा आठवीं कक्षा में पुनरावृत्ति के कारणों एवं उसके संभावित प्रभावों को शोध के परिणाम के रूप में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के परिणाम

शिक्षा के प्रति तटस्थ एवं गैर-ज़िम्मेदार अभिभावक

अभिभावक की शिक्षा उनके बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का एक तार्किक निर्धारक होता है। अभिभावकीय शिक्षा न केवल उनके बच्चों की शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाती है बल्कि उनके 'विद्यालय छोड़ने की दर' को भी कम करती है (ईरास्डो, एल., 2005; ग्रांट एंड हालमैन, 2006 और अन्य)। पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों के सभी माता एवं पिता निरक्षर पाए गए हैं। साथ ही उनके अधिकतर सगे बड़े भाई-बहन भी कक्षा 7–8 तक ही पढ़े हैं। ऐसे विद्यार्थियों के अधिकतर पिता दूसरे राज्यों/शहरों में मज़दूरी करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अशिक्षित माता ही बच्चों की यथासंभव/नाममात्र की शैक्षिक निगरानी रखती हैं। अपने बच्चों की दैनिक शैक्षिक क्रियाकलापों को संदर्भित/इंगित करते हुए उन पर दोषारोपण करते हुए एक माँ कहती हैं कि,

"...सर जी। यह लड़का अपने मन का हो गया है, यह मेरी बात सुनता ही नहीं है। कितना भी डांटती हूँ, यह पढ़ता-लिखता नहीं है। यह गलत लड़कों की संगत में पड़ गया है, विद्यालय में पढ़ने जाता है तो पता चलता है कि इधर-उधर घूम रहा है। ये लड़की भी वैसी ही है, ये भी घर पर कभी पढ़ती-लिखती नहीं हैं। इन सब को कुछ आता-जाता भी नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या पढ़ते हैं और स्कूल में इन्हें क्या पढ़ाया जाता है।"

वहीं कुछ अन्य अभिभावक जो दैनिक मज़दूर हैं उनका कहना था कि हम लोग सुबह होते ही खा-पीकर दूसरे के यहाँ काम करने चले जाते हैं, फिर शाम को लौटते हैं, थके-हारे होने के कारण हमलोग अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं, जब उनकी पढ़ाई-लिखाई में पैसों की ज़रूरत होती है तो उन्हें दे देते हैं। सभी बच्चे अपने से पढ़ते-लिखते रहते हैं। इस संदर्भ में कुछ अभिभावकों का यह भी कहना था कि उनके बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं थे और वे बिना परिवहन पर खर्च किए पैदल या साईकिल से विद्यालय जा सकें।

पुनरावृत्ति के संदर्भ में कुछ अभिभावकों का यह भी मानना था कि आठवीं कक्षा में पुनः एक साल पढ़ लेने से उनके बच्चों के सभी विषयों की समझ बढ़ जाएगी और आगे चल कर बोर्ड की परीक्षा परिणाम में इसका धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ अभिभावकों के मन में एक भ्रम या लालच यह भी प्रतीत हो रहा था कि यदि मेरा बेटा या बेटी एक साल फिर आठवीं कक्षा में पढ़ लेगा या लेगी तो मेरा क्या नुकसान है, बल्कि

उन्हें तो फिर से कई सरकारी शैक्षिक योजनाओं, मध्याहन भोजन, यूनिफ़ार्म, छात्रवृत्ति तो मिलेगी ही। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि एक बार किसी कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर न तो उस कक्षा में पुनः नामांकन संभव है और न ही पुनः किसी सरकारी शैक्षिक योजनाओं का लाभ ही संभव है।

इस प्रकार से इस मुद्दे की गहराई से पड़ताल करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह प्रघटना कई कारकों का एक जटिल संयोग हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण शिक्षा के प्रति तटस्थ एवं गैर-ज़िम्मेदार अभिभावक हैं। ये अभिभावक अपने बच्चों से शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की आकांक्षा रखते हैं, जबकि ये बच्चे शिक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं। इस प्रघटना की ज़िम्मेदारी अभिभावक स्वयं न लेते हुए इसका दोषी अपने बच्चों एवं स्कूल प्रबंधन को मानते हैं। यह सर्वविदित है कि शिक्षा एक सुनियोजित एवं समन्वित प्रक्रिया है, जिसमें सभी हितधारकों की अपनी-अपनी भूमिका होती है तथा इन सभी की भूमिकाओं में समन्वय ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी इस संबंध में एक अभिभावक की भूमिका अहम होती है। क्योंकि वह अभिभावक ही होता है जो अपने पाल्यों (बेटा या बेटी) के प्रारंभिक शिक्षा के प्रति मुख्य जवाबदेह होता है। इस प्रकार से वास्तव में इस प्रघटना के मुख्य ज़िम्मेदार अभिभावक ही हैं। क्योंकि वे शिक्षा के प्रति तटस्थ एवं गैर-ज़िम्मेदार हैं, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये अभिभावक अपने परंपरागत रूढ़िगत मूल्यों से मुक्त होकर शिक्षा के महत्व को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कई कारणों हो सकते हैं।

इस संदर्भ में संबंधित प्रधान शिक्षकों का कहना था कि ये वही विद्यार्थी हैं जो कभी भी कक्षाओं में नियमित नहीं रहे हैं। इसके साथ ही इनके अभिभावकों को इनकी शिक्षा की चिंता कम बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ की चिंता ज़्यादा रहती है। ये वहीं अभिभावक हैं, जो उस दिन तो अपने बच्चों को साथ लेकर विद्यालय आते हैं, जिस दिन सरकारी योजनाओं का वितरण किया जाना होता है, लेकिन बाकी दिनों अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की तत्परता ही नहीं दिखाते हैं।

पुनरावृत्ति करने वाले ये सभी विद्यार्थी पिछड़ी/अति पिछड़ी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के फ़ेरी करने वाले, ऑटो-रिक्शा चलाने वाले, मेहनतकश मज़दूर जैसे वंचित वर्ग से संबंधित हैं, जो अभिभावकों के शिक्षा के प्रति तटस्थता के कारण ये सभी बच्चे शिक्षा जैसे सामाजिक परिवर्तन के एक मज़बूत हथियार से वंचित हो जाते हैं। लिहाज़ा आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन का यह दुश्चक्र आगे भी जारी रहता है। धीरे-धीरे इस वर्ग की शिक्षा से दूरी और बढ़ने लगती है। अंततः शिक्षा की मुख्य धारा से पूर्णतः दूर हो जाते है। यही कारण है कि आज शिक्षा में समाज के एक खास लिंग, जाति, वर्ग का दबदबा कायम है, जबकि कुछ सामाजिक वर्ग के लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एक चुनौती साबित हो रही है।

प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता

पुनरावृत्ति करने वाले सभी विद्यार्थी प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता हैं तथा उनके परिवारों में अंतरपीढ़ी अशिक्षा का स्थानांतरण होते हुए पाया गया है। ऐसे विद्यार्थियों के न केवल माता-पिता बल्कि उनके

दादा-दादी एवं नाना-नानी के साथ ही साथ उनके सगे-संबंधी भी अशिक्षित हैं। इस संदर्भ में उन विद्यार्थियों के माता-पिता द्वारा इसके कई कारण, जैसे— गरीबी, उस ज़माने में पढ़ाई-लिखाई का ज़्यादा प्रचलन न होना, शिक्षा केवल उच्च वर्ग एवं जाति तक ही सीमित होना इत्यादि, बताए गए। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता होने के कारण उन्हें अधिगम या शैक्षिक प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी पाई गई है और वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में झिझकते हुए नज़र आते हैं। इन्हीं सभी वजहों से उनका शैक्षिक स्तर काफी निम्न है। परिणामतः धीरे-धीरे पढ़ाई-लिखाई में उनकी रुचि कम होने लगती है और वे आगे की कक्षाओं में नामांकित नहीं हो पाते हैं।

माता-पिता ने अपने बच्चे के पुनरावृत्ति के संदर्भ में कई कारणों का दुखड़ा रोते हुए बताया कि—

"...क्या करें साहब। एक तो हमलोग मज़दूर आदमी; दूसरे अनपढ़-गवार अँगूठा छाप जो ठहरे। हमारे माँ-बाप उस ज़माने में न तो पढ़े-लिखे थे और न हीं हमलोगों को पढ़ाए-लिखाए। लेकिन हमलोग चाहते हैं कि भले ही हमलोग गरीब ही रहे लेकिन हमारे बच्चे थोड़ा-मोड़ा पढ़-लिख लें ताकि कहीं कुछ भी लिखा रहे तो उसे पढ़ सकें, समझ सकें...। सच्चाई ये है साहब कि स्वयं पढ़े-लिखे न होने के कारण हमलोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, मेरा कौन-सा बेटा/बेटी किस कक्षा में पढ़ते/पढ़ती हैं? हमलोगों को अक्षर ज्ञान हैं हीं नहीं जो हम लोग उन्हें पढ़ाएँ। हमलोगों के अनपढ़ होने का ये नतीजा है कि आजकल के बेटा/बेटी अपने माता-पिता को ही बेवकूफ बना देते/देती हैं।"

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का निम्न स्तर

हालाँकि, आठवीं कक्षा में पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों से बार-बार मिलने-जुलने एवं उनसे उनकी क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करने से शोधकर्ता को यह एहसास हो गया था कि उम्र के अनुसार उनका अधिगम स्तर काफी निम्न है। क्योंकि ये विद्यार्थी अपने माता-पिता, भाई-बहन, स्कूल का नाम, स्कूल के किसी खास शिक्षक का नाम बताने में न केवल काफ़ी हकला रहे थे बल्कि शुद्धता से उत्तर देने में पूर्णतः असमर्थ थे। फिर भी शोधकर्ता ने 'असर बियोंड बेसिक 2017 टूल' के माध्यम से बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का आकलन करना ज़रूरी समझा।

आठवीं कक्षा में दुहराव करने वाले विद्याथियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं विषयगत व्यावहारिक समझ निम्न स्तर की थी। क्योंकि न्यायदर्श के रूप में चयनित कुल 11 विद्यार्थियों में 'असर बियोंड बेसिक 2017 टूल' के गणित की जाँच के अंतर्गत दो अंकों की संख्याओं को नहीं पहचान पाने वाले 3 विद्यार्थी थे। ₹ 10, ₹ 50, ₹ 500 एवं ₹ 2000 के नोटों एवं 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम एवं 100 ग्राम के बाट (वज़न) को न पहचान पाने वाले 5 और उन्हें आपस में जोड़-घटाव न कर पाने वाले 6 विद्यार्थी थे। वहीं सामान्य गुणा-भाग नहीं कर पाने वाले 6 विद्यार्थी थे। उसी प्रकार से 7 विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी के अनुच्छेद को समझ के साथ नहीं पढ़ पा रहे थे, जबकि 3 विद्यार्थी हिंदी में अपने नाम की सही वर्तनी नहीं लिख पा रहे थे। 8 विद्यार्थी ऐसे थे जो तीन वर्णों वाले अंग्रेज़ी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से पुनरावृत्ति करने वाले सभी विद्यर्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

निम्न स्तर का था। ये सभी विद्यार्थी सीखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। इन सभी बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने, समझने, गणित के सामान्य जोड़-घटाव को करने की क्षमता नहीं थी।

हालाँकि, प्रारंभिक अवस्था में ऐसे विद्यार्थियों के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन असर के इस टूल द्वारा यह कार्य काफी आसान हो गया। प्रस्तुत अध्ययन में इस उपकरण का प्रयोग करना इसलिए प्रासंगिक था, क्योंकि शोधकर्ता ने पायलट अध्ययन के दौरान पाया कि जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पुनरावृत्ति कर रहे थे, स्वयं उनका/उनके अभिभावकों का तर्क था कि विद्यार्थी की अगली कक्षाओं में नामांकन इसलिए नहीं कराया/कराया गया क्योंकि विद्यार्थी को कुछ आता-जाता ही नहीं था। अर्थात् उनका मानना था कि विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उनके उम्र एवं कक्षा के अनुरूप नहीं थी, इसलिए अगली कक्षाओं में इनका नामांकन जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। शोधकर्ता ने इस संदर्भ की वास्तविकता की पड़ताल के लिए आठवीं कक्षा में पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य शैक्षिक उपलब्धि के आकलन हेतु एक उपकरण की ज़रूरत महसूस की। इस ज़रूरत एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा 'असर 2017 बियांड बेसिक टेस्टिंग टूल-2' का प्रयोग करना काफ़ी सहायक साबित हुआ। स्वयं शोधकर्ता असर सर्वेक्षण 2017 के आँकड़े संकलित करने वाली वाराणसी, उत्तर प्रदेश की असर टीम में आँकड़ा संकलनकर्ता के रूप में प्रतिभाग किया था, जिसमें तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं चार दिवसीय फ़ील्डवर्क शामिल था। इस प्रकार से असर सर्वेक्षण 2017 के दौरान शोधकर्ता को 'असर बियांड बेसिक टेस्टिंग टूल' के प्रयोग करने का व्यावहारिक अनुभव रहा है। इसलिए प्रस्तुत शोधकार्य में इस टूल का सहजता से प्रयोग करने में काफी सहायता मिली।

पुनरावृत्ति करने वाले बच्चों के निम्न शैक्षिक उपलब्धि के सवाल पर प्रधान शिक्षकों का कहना था। कि चूँकि ये विद्यार्थी नियमित रूप विद्यालय नहीं आते हैं। इसके साथ ही इनके अभिभावक इन्हें अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रखते हैं। इस संदर्भ में एक प्रधान शिक्षक कहना था कि,

"...सर जी। ये बच्चे अपने परिवारों के लिए बच्चे नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए आय के साधन हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकार से मिलने वाले योजनाओं का लाभ, जैसे— छात्रवृत्ति, पोशाक या मध्याहन भोजन के रूप में मिलने वाले पैसे इनके पारिवारिक खर्च में खत्म हो जाते हैं। ये बच्चे या परिवार इन पैसों का सदुपयोग शिक्षा पर नहीं करते हैं। कुछ तो परिवार ऐसे हैं जिनके 4–5 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते और और जब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो इन परिवारों को एक अच्छी खासी रकम मिलती है, लेकिन फिर भी इनके अधिकतर बच्चे पढ़ाई में फिसड्डी रहते हैं। कारण यह है कि ये लोग पढ़ाई-लिखाई को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इन अभिभावकों को कभी कभार समझाने पर भी नहीं समझते। ये आठवीं पास हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये अपना टी.सी. नहीं ले गए हैं। मना करने पर भी सरकारी योजनाओं के लाभ के भ्रम में विद्यालय आते रहते हैं।"

इसी प्रकार से लगभग सभी प्रधान शिक्षकों का मानना था कि इस घटना के दुश्चक्र का मुख्य कारक अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीनता हैं।

वहीं निम्न शैक्षिक उपलब्धि के सवाल पर सभी अभिभावक इस बात को स्वीकारते हैं कि घरेलू कार्य के व्यस्तता के कारण उनके बच्चे नियमित

विद्यालय नहीं जा पाते हैं। लेकिन फिर भी अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के निम्न शैक्षिक उपलब्धि के लिए अपने बच्चों के साथ ही साथ शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन को ज़िम्मेदार मानते हैं। वहीं इस संदर्भ में लगभग सभी विद्यार्थी निरुत्तर थे, लेकिन उनके हावभाव, चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ, उनके सहमे हुए चहरे इस बात के गवाह थे कि ये बच्चे निर्दोष हैं बल्कि इस प्रघटना के मुख्य दोषी तो उनके माता-पिता हैं।

निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षा में अदृश्य लागत की मौजूदगी

हालाँकि, यह वास्तविकता थी कि आठवीं कक्षा में दुहराव करने वाले विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का स्तर निम्न था, जो एक सीमा तक इस प्रघटना (पुनरावृत्ति) के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल यह है कि इन अभिभावकों को आठवीं कक्षा में ही क्यों लगा कि उनके बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। वे पुनरावृत्ति का निर्णय आठवीं कक्षा में ही क्यों लिए? क्या उनके शैक्षिक उपलब्धि में गिरावट अचानक से हुई? वे ऐसा निर्णय कम से कम छठीं या सातवीं कक्षा में ही क्यों नहीं लिए? क्या वे ऐसा निर्णय तब भी लेते, जब उनकी शिक्षा निःशुल्क नहीं होती? इन सभी संदर्भों के गहनता से तहकीकात करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके इस निर्णय का मुख्य कारण प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क होना है। इस प्रकार से निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत की मौजूदगी इस प्रघटना का एक कारण है। क्योंकि उन अभिभावकों को यह पता है कि कक्षा 8 तक शिक्षा बिना पैसे (निःशुल्क) की रही है, लेकिन इसके बाद माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9) में प्रत्यक्ष लागतों के साथ ही साथ अदृश्य/अप्रत्यक्ष लागतों, जैसे— किताब, स्टेशनरी, ट्यूशन/कोचिंग, परिवहन एवं अन्य मदों पर खर्च बढ़ेगा।

वैसे भी निम्न आय वर्ग के परिवार अपने बच्चों के स्कूलिंग के संदर्भ में बहुत ही परिष्कृत निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय का मुख्य आधार शिक्षा में लागत एवं शिक्षा का प्रतिफल होता है (सिंथेसिस रिपोर्ट, द कास्ट ऑफ़ सेंडिंग चिल्ड्रेन टू स्कूल, 2002)। इसके साथ ही एक निश्चित स्तर की शिक्षा अर्जन के दौरान एक विद्यार्थी में शिक्षा के प्रतिफल के रूप में एक निश्चित आय के स्रोत को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों में अधिक प्रचलित होती है। कई बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ-साथ काम भी करते हैं और शिक्षा की लागत की क्षतिपूर्ति अपनी कमाई से करते हैं (यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड यूनिसेफ, 2015)। इस प्रकार से शिक्षा का तात्कालिक लाभ एक ऐसा कारक है जिसके आधार पर एक परिवार अपने बच्चों की अगली कक्षाओं में नामांकन/अनामांकन का निर्णय लेते हैं। इस प्रघटना के कारण के संदर्भ में एक पिता का कहना था—

"...पैसे लगाकर, अपना काम-धंधा छोड़कर पढ़ाई-लिखाई करने से क्या फ़ायदा जब नौकरी मिल ही नहीं रही है। ऐसे में आगे पढ़ाई जारी रखना तो सिर्फ़ समय की बर्बादी है। कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी और अपेक्षाकृत इस स्तर तक बच्चों की उम्र मेहनत-मज़दूरी के लायक भी नहीं रहती है, तो उस समय तक स्कूल में बने रहना ही एक बेहतर विकल्प है। परंतु एक उम्र के बाद परिवार के जीविकोपार्जन के लिए आय के स्रोत का होना अति आवश्यक होता

है। आज कक्षा आठवीं के बाद दसवीं पास करने तक जितने पैसे लग जाते हैं और साथ ही साथ उस दौरान कोई काम-धंधे भी नहीं कर पाते हैं, इसकी क्षतिपूर्ति आज की दसवीं पास सर्टिफ़िकेट से नहीं हो सकती है। बच्चा जब तक पढ़ने जा रहा है तब तक तो ठीक है, नहीं तो हमें अपना काम-धंधा तो करना ही है।"

संरचनात्मक गरीबी

पुनरावृत्ति के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से शोधकर्ता द्वारा पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के ज़रिये उनके निवास स्थान की वातावरण एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधी जानकारियाँ संकलित की गई थीं। विभिन्न शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अभिभावक की आर्थिक पृष्ठभूमि उनके बच्चों की शिक्षा की निरंतरता एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि को निर्धारित करती है। सीखने के निम्न स्तर के लिए घर का वातावरण भी ज़िम्मेदार हो सकता है, लेकिन आमतौर पर निम्न आय वाले अभिभावक अपने बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों पर कम व्यय करते हैं, जिसके कारण उनका प्रतिफल कम होता है। समय बीतने के साथ-साथ उनकी अपेक्षाएँ कम होती जाती हैं और व्यय भी कम होता जाता है (रुकमणि बनर्जी, जेम्स बेरी और मार्क शॉटलैंड, 2014; बोरडिलियन, 2017 एवं अन्य)। निम्न आय वाले परिवार के लिए शिक्षा में मौद्रिक एवं अमौद्रिक लागत एक महत्वपूर्ण शैक्षिक बाधा है।

पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके परिवारों के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उनके अभिभावकों का मुख्य पेशा मज़दूरी है। वे परंपरागत कार्यों, जैसे— विनिर्माण क्षेत्र में मज़दूरी, कल-कारखानों में दैनिक मज़दूरी एवं कृषि मज़दूरी के अलावा दर्जी का काम, हजाम का काम, फ़ेरी का काम, छोटे-मोटे दुकानदारी जैसे असंगठित क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अकुशल कामगार होने के कारण ये निश्चित वेतनभोगी नहीं हैं जिसके कारण उनकी आय (मज़दूरी) जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औसत आय से भी कम है। वाकई ये अभिभावक अपनी बेरोज़गारी एवं घर-गृहस्थी के बदहाल स्थिति के कारण दो जून की रोटी के जुगाड़ में इतना मशगूल रहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के बारें में सोचने-समझने का समय ही नहीं रहता है। दिन भर काम करने के बाद ये अभिभावक रात को जल्दी सोते हैं और पुनः सुबह उनके द्वारा वही दैनिक क्रियाएँ दुहराई जाती हैं। आर्थिक मजबूरियों के कारण अधिकतर मज़दूर अभिभावक अपने साथ काम करने योग्य अपने बच्चों को भी लेकर जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे बच्चों की पढ़ाई साल के 3–4 महीने तक पूर्णतया बाधित रहती जिससे उनके शैक्षिक स्तर में गिरावट होती है।

आमतौर पर जिस परिवार में अधिक बच्चे होते हैं, उसके वित्तीय बोझ बढ़ जाते हैं। परिणामतः उस परिवार के सभी बच्चे पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पुनरावृत्ति करने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता के औसतन 2 बेटे एवं 3 बेटियाँ हैं। एक पेशे से राजमिस्त्री अन्य पिछड़ा वर्ग के अशिक्षित अभिभावक (पिता) ऐसे भी थे जिनके 3 बेटे व 5 बेटियाँ थीं और उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनका कौन-सा बेटा/बेटी किस कक्षा में पढ़ते हैं। इस प्रकार से ऐसे परिवार के लिए प्राथमिक कार्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं बल्कि परिवार के लिए दो जून की रोटी का प्रबंध करना होता है।

अन्य कारण

इस प्रघटना के संदर्भ में गहनता से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि पुनरावृत्ति के उपरोक्त कारकों के अलवा कुछ ऐसे भी कारक हैं जो उपरोक्त कारकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इस घटना को मज़बूती प्रदान करते हैं। इन कारकों में मुख्य कारक हैं— विद्यालय का दूर होना, यातायात के पर्याप्त साधन का न होना, मौसमी पलायन, परिवार में अपर्याप्त आवास एवं शिक्षा के प्रति प्रतिकूल वातावरण, पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी समाज में बालिकाओं की बालकों से कमतर आँकने का प्रचलन, औपचारिक शिक्षा के प्रति लोगों की नकारात्मक अभिवृत्ति, जैसे— बालिकाओं के सुरक्षा को लेकर चिंता, औपचारिक शिक्षा एवं रोज़गार की अनिश्चतता को लेकर चिंता। ये ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करने में एक सीमा तक सहायक हैं।

निष्कर्ष

स्कूली शिक्षा, विशेषकर सुदूर पहाड़ी एवं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, में निम्न नामांकन एवं ड्रॉप-आउट जैसी प्रघटनाएँ तो स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच में बाधक हो ही रही हैं। बल्कि इसके अलावा कक्षा 8 में विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति की प्रघटना भी इसे और सबल कर रही है। इस प्रकार से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस घटना के शून्यीकरण पर विशेष ज़ोर देना होगा। क्योंकि यह घटना भी एक सीमा तक ड्रॉप-आउट बढ़ाने में सहायक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुनरावृत्ति की यह समस्या ड्रॉप-आउट का ही एक आंशिक रूप है। चूँकि भारत में जाति एवं सामाजिक-आर्थिक वर्ग अंतःसंबंधित हैं। अतः यह आश्चर्य नहीं है कि कक्षा 8 में पुनरावृत्ति करने वाले सभी विद्यार्थी वंचित समूह से हैं। इस प्रकार से एक विशेष सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों में पाई जाने वाली यह प्रघटना एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य समस्याओं को जन्म देगी। इस घटना का एक साप्रेक्ष निरपेक्ष प्रभाव माध्यमिक शिक्षा में निम्न नामांकन भी है। यह प्रघटना स्कूली शिक्षा में अपव्यय का एक आंशिक रूप भी है। इस प्रकार से यह समस्या स्कूली शिक्षा के प्रसार के लिए एक चुनौती है।

कक्षा 8 में विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति की प्रघटना की गहराई से पड़ताल एवं संपूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रघटना का केंद्र बिंदु अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता है और यह उदासीनता कई कारकों, जैसे— संरचनात्मक गरीबी, व्यक्तिगत-सांस्कृतिक कारक, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क न होना, का एक जटिल संयोग है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह प्रघटना अशिक्षा का दुश्चक्र है। इस प्रघटना के संदर्भ में शिक्षा के नकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अभिभावक एवं बच्चे एक ही बिंदु पर स्थित होते नज़र आ रहे हैं। शिक्षा के प्रति इस नकारात्मकता को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़कर देखा जाए तो यह एकदम साफ़ है कि शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को सबल बनाने में ये पहलू प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

इस आलेख से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर स्थानीय स्त्तर पर ऐसे मुद्दों से संबंधित शिक्षा नीति के मसौदे, उपयुक्त अधिनियम एवं योजनाएँ बनाई जा सकती हैं

जिससे स्कूली शिक्षा में पहुँच सुगम और सार्वभौमिक हो सके। इसके अलावा प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित शैक्षिक निहितार्थ हैं—

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि द्वारा स्कूली शिक्षा में ग्रेड पुनरावृत्ति के संबंध में एक सामान्य समझ विकसित होगी। साथ ही यह माध्यमिक शिक्षा में निम्न नामांकन के एक कारक के रूप में जानने-समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण/ से यह स्पष्ट होता है कि समाज के अशिक्षित पिछड़ी/अति पिछड़ी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु व्यावहारिक स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूकता की नितांत आवश्यकता है। साथ ही ऐसे वर्ग के अभिभावकों की उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किया जाना चाहिए।
3. अध्ययन से प्राप्त परिणाम यह सुझाव देते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में केवल योजनाओं का निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन एवं निगरानी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
4. प्रस्तुत अध्ययन प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक ग्रेड पर निर्धारित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का हिमायती है।
5. माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक नामांकन हेतु इस प्रघटना को ध्यान में रखकर एक नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है, ताकि शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों की तुल्य/बराबर पहुँच हो सके।

संदर्भ

असर. 2017. *बियांड बेसिक टेस्टिंग टूल-2.* 12 अक्तूबर, 2018 को http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202017/assessmenttool-2.pdf पर देखा गया।

ईरास्डो, एल. 2005. चाइल्ड लेबर एंड स्कूलिंग डीसीजन इन अर्बन एंड रुरल एरियाज़ : कंपारेटिव इविडेंस फ्रोम नेपाल, पेरु एंड जिम्बाम्बे. 10 जनवरी, 2017 को https://www.researchgate.net/publication/222532316_Child_Labor_and_Schooling_Decisions_in_Urban_and_Rural_Areas_Comparative_Evidence_from_Nepal_Peru_and_Zimbabwe 10.01.2017 पर देखा गया।

गुप्ता, उमेश और मधु कुशवाहा. 2019. बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर का विश्लेषणात्मक अध्ययन. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली. *भारतीय आधुनिक शिक्षा.* अक्तूबर, 2019. वर्ष 40. अंक 2. पृ. सं. 5–13. ISSN 0972-5636. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Oct_2019.pdf

ग्रांट, एम. और हालमैन. 2006. प्रेग्नेंसी रिलेटेड ड्रॉप आउट एंड ए प्रिअर स्कूल परफारमेंस : पापुलेशन काउंसिल इन साउथ अफ्रीका पॉलिसी रिसर्च डिवीजन वर्किंग पेपर नं. 212. 12 दिसंबर, 2017 को https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=departments_sbsr-pgy\ पर देखा गया।

बोरलीडियन, माइकल. 2017. थिंकिंग अबाउट स्ट्रीट चिल्ड्रेन एंड ओरफ़ंस इन अफ्रीका : बियोंड सरवाइवल. 10 जनवरी, 2018 को https://www.researchgate.net/publication/306081082_Thinking_About_Street_Children_and_Orphans_in_Africa_Beyond_Survival पर देखा गया।

यू-डाइस. 2016. नीपा. 20 नवंबर, 2017 को http://udise.in/src.html पर देखा गया।

———. 2018. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली. 20 मार्च, 2021 को http://dashboard.seshagun.gov.in/mhrdreports/#/reportDashboard/sReport पर देखा गया।

यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड यूनिसेफ. 2015. *फ़िक्सिंग द ब्रोकेन प्रोमीस ऑफ़ एजुकेशन फ़ॉर आल : फ़ाइंडिंग्स फ्रोम द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन आउट-ऑफ़-स्कूल चिल्ड्रेन*. 20 सितंबर, 2019 को https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560017.pdf पर देखा गया।

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृ. सं. 10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

रुकमणि बनर्जी, जेम्स बेरी और मार्क शॉटलैंड. 2014. द इम्पैक्ट ऑफ़ मदर लिटेरिसी एंड पार्टिसीपेशन प्रोग्राम्स ऑन चाइल्ड लर्निंग : एविडेन्स फ्रोम ए रैनडमाइज्ड़ इवैल्यूएशन इन इंडिया. 01अगस्त, 2017 को http://sites.bu.edu/neudc/files/2014/10/paper_201.pdf 01.08.2017 पर देखा गया।

सिंथेसिस रिपोर्ट. 2002. रिचिंग द पूअर : द कास्ट ऑफ़ सेंडिंग चिल्ड्रेन टू स्कूल. डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डीएफ़आईडी. 12, मई 2017 को https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/reachingthepoor-edpaper47.pdf पर देखा गया।